

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

सं0सं0-02 / परी0-09(को0प्र0)-09 / 2019-

शुद्धि-पत्र

पर्षदीय पत्रांक-1998 दिनांक-22.10.2019 के क्रमांक -07 पर अंकित विवरणानुसार डॉ० कुमारी प्रीति, सहायक प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय, लहेरियासराय, दरभंगा के कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जिला पदाधिकारी दरभंगा के पत्रांक-711 दिनांक-24.09.2019 द्वारा निर्गत शुद्धि पत्र में अनुरोध किया गया है कि उनके पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र में टंकण भूलवश " डॉ० कुमारी प्रीति, सहायक प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय, लहेरियासराय, दरभंगा " के स्थान पर " डॉ० कुमारी प्रीति, सिनियर रेजिडेन्ट, नेत्र रोग विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा " अंकित हो गया था जिसे " डॉ० कुमारी प्रीति, सहायक प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय, लहेरियासराय, दरभंगा " पढ़ा जाय।

उक्त के आलोक में पर्षदीय पत्रांक-1998 दिनांक-22.10.2019 द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र के क्रमांक-07 पर पदाधिकारी का नाम/पदनाम/पता कॉलम के अन्तर्गत " डॉ० कुमारी प्रीति, सिनियर रेजिडेन्ट, नेत्र रोग विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा " के स्थान पर " डॉ० कुमारी प्रीति, सहायक प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय, लहेरियासराय, दरभंगा " पढ़ा जाय। शेष विवरण यथावत् रहेंगे।

ह0/-

अवर सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं0सं0-02 / परी-09(को0प्र0)-09 / 2019- 22/11 पटना, दिनांक:- 05-12-2019
प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना /अवर सचिव, (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं डॉ० कुमारी प्रीति, सहायक प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/12/19

अवर सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।